समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी–3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9–10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर–सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | **माननीय श्री अमिताभ गुप्ता** संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | **माननीय श्री अशोक कुमार सिंह** संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | **माननीय श्री भागीरथ शर्मा** संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार , मो. 98290–78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष– क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक –पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक 31231–32021 दिनांक : 19.12.2015

श्रीमती सोनिया गांधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
नई दिल्ली ।

विषय :– कांग्रेस की राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन की सूचना।
संदर्भ :– कांग्रेसी सांसदों को देशद्रोह/राष्ट्रद्रोह करने से रोकने की प्रार्थना।

महोदया,

कृपया इस आवेदन के साथ संलग्न राजस्थान पत्रिका(19.12.2015) एवं दैनिक भास्कर (19.12.2015) की प्रेस क्लिपिंग का अवलोकन करे जिससे सूचित होता है कि कांग्रेस के अनेक राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा के कुल 58 सांसदों के साथ एक राय होकर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जे.डी. पारदीवाला के विरूद्ध उनके द्वारा न्यायिक निर्णय में की गई आरक्षण एवं भ्रष्टाचार विरोधी टिप्पणी के लिए महाअभियोग लाने का प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष को सौपा है।

भारतीय संविधान की यह सर्वविदित संविधानिक व्यवस्था है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनो प्रजातांत्रिक स्तम्भों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रावधानों की समीक्षा करने और उनका निर्वचन करने का अधिकार है। इस समय पूरे देश में आरक्षण एवं भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों याचिकाऐं लम्बित है, ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त सांसदों द्वारा एक राय होकर एक राष्ट्रवादी कर्तव्यनिष्ठ न्यायधीश के विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपने पद का दुरूपयोग करते हुये देश के सैकड़ों राष्ट्रवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ न्यायधीशों को प्रत्यक्ष रूप से डराने, धमकाने ओर भयभीत करने का कृत्य है ताकि वे संविधान प्रदत कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्रता एवं निर्भिकता के साथ नहीं कर सके। दूसरी ओर यह कृत्य पूरे देश में जातिगत उन्माद फैलाकर करोड़ों लोगों को जातिगत संघर्ष में धकेल कर व्यापक स्तर पर मारकाट फैला कर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास है। यह सभी कृत्य राजद्रोह है, देशद्रोह है, अविधिक एवं असंवैधानिक भी होने के कारण इन सासदों द्वारा ली गई संविधान रक्षा की शपथ का उल्लंघन है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रवादी राजनैतिक पार्टी है, जो जातिगत और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के या राष्ट्रद्रोह/देशद्रोह के किसी कृत्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर सकती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप सात दिवस के अन्दर :–

1. कृपया कांग्रेसी सांसदों को ऐसे द्रेशद्रोही कृत्य से तत्काल हटने को निर्देशित करे तथा इस आशय का उनका लिखित आवेदन राज्यसभा अध्यक्ष को दिलवाते हुये पूरी तरह सार्वजनिकतौर पर प्रचारित करे।
2. यदि वे उपरोक्त बिन्दु 1 में याचित कार्य नहीं करते है तो आप उन्हें कांग्रेस पार्टी से तत्काल बर्खास्त करे।
3. यदि आप उपरोक्त दोनों में से एक भी कार्य नहीं कर पाती है तो समता आन्दोलन कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आपका (श्रीमती सोनिया गांधी का) पुतला दहन करके कांग्रेस पार्टी को देशद्रोहियों की पार्टी प्रचारित किया जावेगा। तत्काल सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में

आपका शुभाकांक्षी,

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

प्रतिः– सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों को प्रेषित कर अनुरोध है उपरोक्त 58 सांसदों को द्रेशद्रोह व राजद्रोह का अपराध करने से रोके ताकि संसद व सांसदों की गरिमा बनी रह सके।

58 सांसदों ने दिया जज पर महाभियोग चलाने का नोटिस

जस्टिस पारदीवाला ने की थी आरक्षण विरोधी टिप्पणी

नई दिल्ली/अहमदाबाद @ पत्रिका. गुजरात हाईकोर्ट के जज जेबी पारदीवाला द्वारा आरक्षण के विरोध में कथित तौर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर 58 राज्यसभा सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने का नोटिस दिया है। कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीज, सीपीआई के डी राजा, जदयू के केसी त्यागी सहित 58 सांसदों ने जज को हटाने के लिए महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर किए और राज्यसभा अध्यक्ष को सौंप दिया।

जज ने कहा था

जस्टिस पारदीवाला ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का आरोप हटाने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा था, 'यदि कोई मुझसे दो ऐसी चीजें बताने को कहे जिसने देश को बर्बाद कर दिया है या जिसने देश को सही दिशा में प्रगति नहीं करने दी है, तो मैं कहूंगा कि ये आरक्षण और भ्रष्टाचार हैं। संविधान जब बना तो कहा गया था कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए की गई है। लेकिन दुर्भाग्य से यह 65 साल बाद भी लागू है।'

इन पर चला महाभियोग

स्वतंत्र भारत में दो जजों को महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा चुका है। 1993 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे रहे जी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।

पढ़ें 58 सांसदों @ पेज 9

पत्रिका Sat, 19
epaper.

58 सांसदों...

लेकिन वोटिंग में गिर गया था। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव आया। उन्हें हटा दिया।

50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत : राज्यसभा में महाभियोग संबंधी याचिका देने के लिए इस पर न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस बीच जस्टिस पारदीवाला ने अपने पूर्व के आदेश से आरक्षण संबंधित विवादित टिप्पणी हटा दी।

पत्रिका Sat, 19 D
epaper.pa

आरक्षण पर टिप्पणी, जज की कुर्सी खतरे में

58 सांसदों ने राज्यसभा में पेश किया महाभियोग

नई दिल्ली/अहमदाबाद | आरक्षण पर टिप्पणी करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पारडीवाला की कुर्सी खतरे में हैं। राज्यसभा के 58 सांसदों ने सभापति को महाभियोग प्रस्ताव देकर पारडीवाला को हटाने की मांग की है। इसके बाद जज ने विवादित पैराग्राफ फैसले से हटा लिया। लेकिन, इसके बाद भी उनका संकट टला नहीं है। सभापति हामिद अंसारी के सामने पेश याचिका में सांसदों ने कहा, 'यह दुखद है। शेष | पेज 6

यह कहा था : जस्टिस पारडीवाला ने पटेल आंदोलन के दौरान एक सुनवाई में कहा था- यदि मुझे पूछा जाए कि कौन सी दो बातें हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद किया। तब मेरा जवाब होगा, पहला-आरक्षण और दूसरा-भ्रष्टाचार। हमारा संविधान बना था, तब आरक्षण दस साल के लिए रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 65 साल बाद भी आरक्षण बना हुआ है।

आरक्षण पर टिप्पणी...

जज को अजा-अजजा से जुड़ी नीतियों के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है। जज की टिप्पणियों के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है।'

सरकार के कहने पर हटाया पैराग्राफ : हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता देख गुजरात सरकार ने शुक्रवार को आदेश में संशोधन की मांग की। राज्य सरकार की दलील थी, "पैराग्राफ-62 में की गई टिप्पणी प्रस्तुत मामले से मेल नहीं खाती। इन्हें हटाया जाए।'' हाईकोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया और विवादित पैराग्राफ हटा दिया।

अब महाभियोग प्रस्ताव का क्या होगा? : जिस टिप्पणी को लेकर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है, वह हटा ली गई है। अब प्रस्ताव का क्या होगा? इस पर वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा, 'महाभियोग का आवेदन दिया जा चुका है। जब तक जज संसद को लिखकर नहीं देते कि टिप्पणी हटा ली है, तब तक कार्यवाही चलती रहेगी।' वहीं, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि महाभियोग प्रस्ताव दो ही सूरत में खत्म होगा। सांसद अपना प्रस्ताव वापस ले या सभापति जज के लिखित आश्वासन से संतुष्ट हों। वरना कार्यवाही चलती रहेगी।'

इन सांसदों ने किए हैं याचिका पर हस्ताक्षर : आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अश्विनी कुमार, पीएल पूनिया, राजीव शुक्ला, ऑस्कर फर्नांडीज, अंबिका सोनी, बीके हरिप्रसाद (सभी कांग्रेस), डी. राजा, केएन बालगोपाल, शरद यादव (जदयू), एससी मिश्रा और नरेंद्र कुमार कश्यप, तिरुचि शिवा (डीएमके) और डीपी त्रिपाठी (एनसीपी)।